27/5/12 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट प्राप्त हुई। ~~मिसल~~ सरकारी पेशकार उप.
बहस पक्षकारान सुनी गई पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ओसियां ने भी रिपोर्ट में मुनशि पु. प्रेमाराम के स्थान पर मुन्नीलाल पु. प्रेमाराम किया जाना उचित माना है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया।
निर्णय पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

अप्रार्थी की ओर से– सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::–

दिनांक:–27/10/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 217/1 रकबा 51 बीघा 05 बिस्वा मौजा ग्राम हरिपुरा व खसरा नम्बर 190/2 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा ग्राम पाबुनगर पटवार क्षेत्र ओसियां (हरिपुरा) तहसील ओसियां में आई हुई है। जिसके राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम चुनाराम पि. पेमाराम दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का वास्तविक नाम चुन्नीलाल है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम चुन्नीलाल दर्ज है। मेरे राजस्व रेकर्ड में व अन्य दस्तावेजात में नाम में भिन्नता होने के कारण मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम चुनाराम पि. पेमाराम के स्थान पर चुन्नीलाल पि. पेमाराम दर्ज करवाना चाहता हूँ। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 217/1 रकबा 51 बीघा 05 बिस्वा मौजा ग्राम हरिपुरा व खसरा नम्बर 190/2 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा ग्राम पाबुनगर पटवार क्षेत्र ओसियां (हरिपुरा) तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम चुनाराम पि.

सहायक कलेक्टर, ओसियां

पेमाराम के स्थान पर चुन्नीलाल पि. पेमाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त करने का आदेश फरमावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

यह है कि बहस पक्षकारान सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम चुन्नीलाल पि. पेमाराम है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 217/1 रकबा 51 बीघा 05 बिस्वा मौजा ग्राम हरिपुरा व खसरा नम्बर 190/2 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा ग्राम पाबुनगर पटवार क्षेत्र ओसियां (हरिपुरा) तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम चुनाराम पि. पेमाराम के स्थान पर चुन्नीलाल पि. पेमाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/10/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां